(6)

रजि० नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी०-890
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 जुलाई, 1998

आषाढ़ 18, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1308/सत्रह-वि-1-1(क) 15—1998

लखनऊ, 9 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 9 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1998]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 1 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (3) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1997" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1998" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

3—शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा 29, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जो 1 जनवरी, 1998 के ठीक पूर्व प्रबन्ध कमेटी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन कर रही थी, तब तक प्रशासक या प्रशासक कमेटी के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझी जायेगी जब तक कि प्रबन्ध कमेटी उपर्युक्त धारा के अधीन पुनर्गठित नहीं कर दी जाती और 1 जनवरी, 1998 को या उसके पश्चात् ऐसे प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन

4—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1308 (2)/XVII-V-1–1(KA)15-1998

Dated Lucknow, July 9, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 9, 1998.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1998

(U. P. Act no. 18 of 1998)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

It is hereby enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 1998.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), in the proviso, *for* the word and figures "December 31, 1997" the word and figures "December 31, 1998" shall be *substituted*.

Validation

3. For the removal of doubts it is hereby declared that the Administrator or the Committee of Administrators appointed under section 29 of the principal Act, as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994 and exercising and performing the powers and duties of the Committee of Management before January 1, 1998 shall be deemed to have validly continued to be appointed as Administrator or the Committee of Administrators till the Committee of Management is reconstituted under the aforesaid section and anything done or any action taken by such Administrator or Committee of Administrators at anytime on or after January 1, 1998 shall be valid as if the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal

4. The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed.

By order,
Y. R. TRIPATHI,